V

THE COURT

of 20

proceeding Date of order or

of Presiding Officer Order or proceeding with Signat

Parties or Pleaders where necessary Signature of Parties or

/अभियुक्तगण नि केन्द्रीय पंजीअतर्गत आरक्षक केशक, ट अधीन प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त 15 下 के इस्प्राठक० द्0प्र0स0 की ओर अधीन आरक्षी केन्द्र और हुन्हुन् की निम्बर वाने के हिल्ल अभियोगपत्र / परिवाद धारा 173 द प्राप्त प्राप्त पर्म की दो प्रतियों मे विधिवत् प्रर राज्य द्वारा ए डी पी ओ श्री विराद प्रास्तिप

द्वारा अभियुक्त/अभियुक्तगण सहित 后 S1236-18 是 सज्ञान अधीन 711163 159 द्0प्र0स0 धारा 190-1 आधार अभियुक्त/अभियुक्तगण प्रकरण मे

गया। लिया सज्ञान के विरुद्ध पाये जाने से उनका

25 सम्स गय कराई अधीन अभियोगपत्र की लिया आकित अमिरक्षा मे पावती 207 帝 मुद्री 安 नही। न्यायालय \$ नकलें/ छायाप्रति प्रदान क मे मुद्दे माल प्रस्तुत/प्रस्तुत को द०प्र०स० की धारा व अभियुक्तगण अभियुक्तगण प्रकरण विहित

अभियुक्त / अभियुक्तगण उप० नहीं

अगियोग 野 The Property 任 कार्यवाही फार्म की आवश्यक के विहित 本 केन्द्रीय पंजीयन केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय थोड़ी देर बाद पेश हो। साथ ही प्रकरण सहित

(中 किया दिनाक द्वारा आहत 地 उपरिथति को सूचनापत्र/समन \$ अभियुक्त अभियुक्त प्रकरण

जिएमिएफिएमिए

बुक 包 KIG मिन 年 पावती 45 西 निरस्त वि न्यायालय किये जाये। संपत्ति क्षियं वाहन की दशा में वाहन उसके स्व व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्व को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त ि जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय नामान्यविवस का साधारण कारावा क्रिद अवसा अभियुक ते स्वेच्छया अपराध की निर्णय प्रथक से टंकित कराक असदाय में व्यतिकम जाये । प्रतिपृति अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई। निशिक्य विवारण विस्मेव अर्थदा 世后 जिसकी पजीबद्ध किया। निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की of Presiding Officer समझाये गया। संक्षिप भाउद्गम् के अनुसार संवित आवश्यक 1 Obe ... अभियुक्तगण स्वीकार 45 रना खेळ्या खिका अपराध पंजी अभियुक्त / अभियुक्तगण अरे अवा प्रकरण का परिणाम आपराधिक पढकर सुनाये हिंदी त विचारणीय 中 भेयुक्त समित विचारणीर के मामला समित विचारणीर क्या गया। अभियुक्त/ अधिनियम के अध् अभियुक्त/अभियुक्तगण के रखते हुए स्वीकारोकित को ध्यान में रखते हुए Order or proceeding with Signati (2) रिमेश्य प्रकरण उपरोक्त निर्देश अभिनेखागार प्रेषित किया जाये। अभियुक्त स्तययन करना अपराध राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त न अन् उसके आदेशों का पालन हो। अभिलेख कर अभियुक्त अभियुक्त को निर्णयानुसार 20/ अभियुक्त भुगताया जावे। किया अवधि में विरचित 本 प्रारम